<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> <u>जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 427 / 2013

संस्थापन दिनांक 12.07.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

1—बदनसिंह पुत्र धर्मजीत जाटव उम्र 37 साल निवासी न्यू बस्ती गोदाम ग्वालियर हाल दिलीपसिंह का पुरा थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड म०प्र0

– अभियुक्त

<u>निर्णय</u>

(आज दिनांक......को घोषित)

- उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर धारा 337 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 279, के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप हैं कि उसने दिनांक 24.06.13 को दिन के 12:00 बजे या उसके लगभग ग्राम पड़कौली स्थित पातीराम ओझा के मकान के सामने लोकमार्ग पर वाहन फार्माट्रेक ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.30-ए.ए.-1044 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।
- अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 24.06.13 को दिन के करीब 12 बजे फरियादी राघवेन्द्र अ०सा०३ पातीराम ओझा के मकान के पास लगे हैंडपम्प पर पानी पीने गया था तथा वहीं पर सड़क पर ट्रैक्टर द्वारा गिट्टी डाली जा रही थी जब उसका लड़का पानी पीकर वापिस लौट रहा था उसी फार्माट्रेक ट्रैक्टर कमांक एम.पी.30—ए.ए.—1044 के चालक ने ट्रैक्टर को बड़ी तेजी व लापरवाहीपूर्वक मोड़ा जिससे ट्रैक्टर का अगला पिहया आर्यन के दाहिने हाथ पर चढ़ गया जिससे हथेली में चाट होकर खून बहने लगा तथा ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर को चिरौल की तरफ भगाकर ले गया। तत्पश्चात फिरयादी राघवेन्द्र अ०सा०३ ने थाना मौ प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी—3 दर्ज कराई जिस पर से अप०क० 102/13 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला प्रकट होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
- 3. आरोपी ने अपराध की विशिष्टियां अस्वीकार कर विचारण का दावा

किया है और आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है क्या घटना दिनांक 24.06.13 को दिन के 12:00 बजे या उसके लगभग ग्राम पड़कौली स्थित पातीराम ओझा के मकान के सामने लोकमार्ग पर वाहन फार्मल ट्रक क्रमांक एम.पी.30—ए.ए. —1044 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

//विचारणीय प्रश्न का सराकरण निष्कर्ष//

5. फरियादी राघवेन्द्र अ०सा०३ ने कथन किया है कि आर्यन उसका बेटा है। तीन वर्ष पूर्व आर्यन पानी भरने के लिए हैंडपम्प पर जा रहा था तब किसी गाड़ी की गिट्टी उचटकर उसे लग गयी जिससे आर्यन को चोट आई थी। मौके पर उसके अलावा कोई नहीं था। तब उसने घटना की एफ.आई.आर. प्र०पी—3 लिखाई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके पर आकर नक्शामौका प्र०पी—4 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि साक्ष्य के दौरान उपस्थित आरोपी बदनसिंह ने ट्रैक्टर कमांक एम.पी.30—ए.ए.—1044 को तेजी व लापरवाही से चलाकर अगला पिहया आर्यन पर चढ़ा दिया था। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र०पी—5 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

6. साक्षी सत्यवीर अ०सा०२ ने कथन किया है कि उसे घटना की जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 24.06.13 को जब वह हैंडपम्प पर था तब ट्रैक्टर कमांक एम.पी.30—ए.ए.—1044 को आरोपी ने तेजी व लापरवाही से चलाकर आर्यन को टक्कर मार दी थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी—2 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

साक्षी डॉ० आर०विमलेश अ०सा०१ ने कथन किया है कि दिनांक 24.06. 13 को वह सी.एच.सी. मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत आर्यन पुत्र राघवेन्द्र उम्र 4 साल निवासी पड़कौली को कैप्टन अकबर खां नगर रक्षा समिति मौ द्वारा लाये जाने पर उसके द्वारा आहत का परीक्षण करने पर आहत के एक फटा हुआ घाव जिसके किनारे अनियमित आकार में एवं कुचले हुए तथा रक्तरंजित थे। घाव का आकार 1.3गुणा1/4 से.मी. मांसपेशी तक गहरा था। दाहिनी हथेली के अनामिका अंगुली के निचले भाग से हथेली के उपरी हिस्से तक था। उसके मतानुसार यह चोट सख्त एवं मौथरी वस्तु द्वारा आई हुई प्रतीत होती थी जो उसके परीक्षण के 12 घण्टे के भीतर की थी। चोट की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे की सलाह दी गयी थी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी—1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

 अतः फरियादी राघवेन्द्र व अभिलिखित प्रत्यक्ष साक्षी सत्यवीर अ०सा०२ ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही प्रत्यक्ष साक्षियों का कथन कराया गया है। राघवेन्द्र अ०सा०३ फरियादी होकर आहत आर्यन का पिता भी है। परन्तु दोनों ही साक्षीगण ने स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपी ने वाहन एम.पी.३०—ए.ए.—1044 को उपेक्षापूर्वक परिचालित कर आर्यन को टक्कर मारी। अतः उक्त दोनों महत्वपूर्ण साक्षीगण द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 24.06.13 को दिन के 12:00 बजे या उसके लगभग ग्राम पड़कौली स्थित पातीराम ओझा के मकान के सामने लोकमार्ग पर वाहन फार्माट्रेक ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.३०—ए.ए.—1044 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

9. परिणामतः आरोपी उदयसिंह को धारा 279 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

10. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11. प्रकरण में जप्त वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.30—ए.ए.—1044 आवेदक गजेन्द्रसिंह की सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाये।

ALIMANA PAROTA BUNTAL

दिनांक :-

सही / –
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0